रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102022-239274
CG-DL-E-01102022-239274

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4430]	नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 30, 2022/आश्विन 8, 1944
No. 4430]	NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 30, 2022/ASVINA 8, 1944

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2022

का.आ. 4638(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) (पांचवां संशोधन) आदेश, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के खंड 20 (ग) में,-

(i) उप-खंड (4) में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, " तीन वर्ष "शब्द रखे जाएँगे।

(ii) उप-खंड (5) में, " 30 सितंबर, 2022" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "31 मार्च, 2023" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे।

3. मूल आदेश के, 'प्रारूप छ -3' में, मद 5 के बाद चिह्नित क्षेत्र ** में, "....22 फरवरी, 2023 तक" शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर "22 फरवरी, 2024 तक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएँगे ।

[फा. सं. 3-14/2017 उर्वरक-विधि]

प्रिय रंजन, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सा. का. नि. 758 (अ) तारीख 25 सितंबर, 1985 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना संख्या 4557 (अ) तारीख 27 सितंबर, 2022 द्वारा अंतिम संशोधन की गई थी ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 30th September, 2022

S.O. 4638(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, namely:-

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) (Fifth) Amendment) Order, 2022

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referreed to as principal Order), in clause 20C,-

(a) in sub-clause (4) for the words "two years" the words "three years" shall be substituted;

(b) in sub-clause(5), for the word, figures and letters "30th September, 2022" , the word, letters and figures "31st March,2023" shall be substituted .

3. in Form G-3 of the Principal Order, in the portion of the area marked as ** occurring after item 5, for the words, figures and letters "upto 22nd day of February, 2023", the words, figures and letters " upto 22nd day of February, 2024" shall be substituted.

[F. No. 3-14/2017 Fert Law]

PRIYA RANJAN, Jt. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, extraordinary, Part II Section 3, sub-section(i) vide notification number G.S.R. 758 (E), dated 25th September, 1985 and was last amended vide notification number 4557 (E) dated 27th September,2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20022024-252257
CG-DL-E-20022024-252257

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 759]	नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 20, 2024/फाल्गुन 1, 1945
No. 759]	NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 20, 2024/PHALGUNA 1, 1945

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 20 फरवरी, 2024

का.आ. 795(अ).—केंद्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2024 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में, खंड 20 ग में, उपखंड 4 में,शब्द "तीन वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. उक्त आदेश में, प्ररूपछ-3 में, दूसरे पैरा में, मद 5 में, "2024" अंको के स्थान पर, "2025" अंक रखे जाएंगे।

[फा. सं. 3-14/2019उर्वरक-विधि]

योगिता राना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 20th February, 2024

S.O. 795(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, namely:-

1.Short title and Commencement.-

(1) This Order may be called the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Amendment Order,2024

(2) It shall come into force on the date of its publication in the OfficialGazettee

2.In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 20C, in sub-clause (4) for the words "three years" the words "four years" shall be substituted.

3.In said Order, in Form G-3, in second paragraph occuring after item 5,for the figures "2024", the figures "2025" shall be substituted.

[F. No. 3-14/2019Fert Law]

YOGITA RANA, Jt. Secy.